उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-9/3979/पांच-8-2014-म(345)/2012

लखनऊ: दिनांक 16 जनवरी, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा वर्ष 2014 में किये गये चयन के फलस्वरूप पत्र संख्या-162(10)/57/डी0आर0/सेवा-8/2012-13, दिनांक 03-12-2014 में 20 चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रू0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रू0 5400/- में एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर संलग्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से अस्थायी रूप से नियमित नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका के अधीन निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 के नियम 18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी का स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से शर्त क्रमांक-5 में निर्धारित अवधि में सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होगें।

3- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न निर्धारित शपथ पत्र के प्रारूप पर अपने चरित्र प्राग्वृत्त का सत्यापन स्वयं करेगा। उसमें यदि कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें शासन स्तर से तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

क्रमश:

http://shasanadesh.up.nic.in

4- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर(एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

5- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी **दिनांक 15-02-2015** तक अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका के समक्ष उपस्थित होगें तथा शर्त क्रमांक-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि वे उक्त निर्धारित अवधि में अपनी तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

6- नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु चिकित्साधिकारियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7- चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे :-

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र (संलग्नक प्रारूप में)

(2) अभियोजन न चलाये जाने, न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा चरित्र प्रागवृत्त सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आने पर सेवायें समाप्त करने के सम्बन्ध में शपथ पत्र (संलग्न प्रारूप पर)

(3) उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

(4) ओथ एलीजियन्श का प्रमाण पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।

क्रमशः

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।

(7) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण पत्र।

(8) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।

8- संलग्न सूची में अंकित चिकित्साधिकारियों में से यदि कोई चिकित्साधिकारी पूर्व से पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में कार्यरत है, तो उसे यह लिखित रूप में विकल्प देना होगा कि वह पूर्व में की गयी नियुक्ति के आधार पर सेवा में रहना चाहता है या वर्तमान में की गई नियुक्ति के आधार पर। यदि किसी चिकित्साधिकारी द्वारा वर्तमान में की गई नियुक्ति के आधार पर सेवा में रहने का विकल्प दिया जाता है, तो उसके द्वारा पूर्व में की गई सेवा की गणना वरिष्ठता निर्धारण हेतु नहीं की जायेगी।

2- प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

<u>संलग्नक-तैनाती सूची एवं शपथ पत्र का प्रारूप।</u>

अरविन्द नारायण मिश्र
सचिव।

<u>संख्या-9/3979(1)/पांच-8-2014-तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन),चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि- नियुक्ति आदेश को सर्व सम्बन्धितों को अपने स्तर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नियुक्ति में कोई भी परिवर्तन शासन स्तर से ही किया जायेगा।

4- सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्त किये गये

क्रमशः

http://shasanadesh.up.nic.in

चिकित्साधिकारियों के स्वास्थ्य परीक्षण की तत्काल व्यवस्था करायें तथा चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाय, जिससे कार्यभार ग्रहण करने में अनावश्यक विलम्ब न हो, किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किये गये चिकित्साधिकारी के मामले में स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु शासन को सन्दर्भित किया जायेगा।

5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद।

6- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

7- सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका को इस निर्देश के साथ कि वे नियुक्त चिकित्साधिकारी को मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने पर निर्धारित तिथि तक उनके प्रस्तर-7(1) में उल्लिखित अभिलेखों को प्राप्त कर योगदान आख्या शासन को विलम्बतम एक सप्ताह में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

8- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।

10- सम्बन्धित कोषाधिकारी, उ0प्र0।

11- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्यालय ज्ञाप संख्या-9/3979/पांच-8-2014-म(345)/2012, दिनांक 16-01-2015 की तैनाती सूची का संलग्नक

क्र. सं.	चयन क्रमांक	अनुक्रमांक	चिकित्साधिकारी का नाम/पिता/ पति का नाम/ पत्र व्यवहार का पता	श्रेणी	गृह जनपद	योग्यता/ विशेषज्ञता	प्रस्तावित तैनाती
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	58	51530125703	डा0 विनिता पासवान/पत्नी श्री यादवेन्द्र कुमार/रामावती सदन, म0नं0-84ए, चरगांवा, गोरखपुर-273013	एस0सी0	गोरखपुर	एम0बी0बी0एस0	देवरिया
2.	345	51550290245	डा0 सौम्या गुप्ता/पुत्री श्री राजेन्द्र प्रसाद /म0नं0-39 बेचन निवास, हनुमान मन्दिर रोड, शुक्ला हास्पिटल लेन, बेतियाहाता, गोरखपुर-273001	ओ0बी0सी0	गोरखपुर	एम0बी0बी0एस0 /एम0डी0 मेडिसिन	जिला चिकित्सालय, महराजगंज
3.	494	51550368582	डा0 अब्दुल हक अल फारूक/पुत्र श्री औबेदुर रब/सी-3686 राजाजीपुरम, सेक्टर- 6, लखनऊ	ओ0बी0सी0	लखनऊ	एम0बी0बी0एस0	फतेहपुर
4.	503	51550106681	डा0 मनोज कुमार यादव/पुत्र श्री दुर्गविजय यादव/ 209/1ए, पंजाबी कालोनी, आलोपी बाग, इलाहाबाद-211006	ओ0बी0सी0	[illegible]	एम0बी0बी0एस0	जौनपुर
5.	504	51530347013	डा0 हरिओम सिंह/पुत्र श्री श्याम सिंह/ ग्राम-बधौली, खरखौदा, मेरठ-245206	[illegible]सी0	मेरठ	एम0बी0बी0एस0	बागपत
6.	563	51550223776	डा0 अजीम अहमद अंसारी/पुत्र श्री कबीर अहमद/ए-626, बुध बाजार रोड, फेज-2 नगलोई, नई दिल्ली- 110041	ओ0बी0सी0	बिजनौर	एम0बी0बी0एस0	सम्भल
7.	698	51520141012	डा0 तनवी अग्रवाल/पुत्री श्री बी0के0 अग्रवाल/द्वारा डा0 आर0सी0 गुप्ता, 47[illegible]/107[illegible], दीनदयाल नगर, खदरा, सीतापुर रोड, लखनऊ	सामान्य	लखनऊ	एम0बी0बी0एस0	लखीमपुर खीरी
8.	712	51550045788	डा0 जमशेद अहमद/पुत्र श्री अब्दुल जब्बार /48, मिर्जाहादीपुरा, मऊनाथ भजन, मऊ- 275101	ओ0बी0सी0	मऊ	एम0बी0बी0एस0	बलिया
9.	762	51530071466	डा0 सुरेश प्रसाद/पुत्र स्व0 श्री बाबादीन/ म0नं0-9 अम्बेडकरनगर, जिला-फतेहपुर-212641	एस0सी0	फतेहपुर	एम0बी0बी0एस0 /एम0डी0 मेडिसिन	जिला चिकित्सालय, बांदा
10.	968	51550034199	डा0 राजीव कुमार/पुत्र श्री राम अवध/बापू इन्टर कालेज, पी0पी0 गंज, गोरखपुर-273165	ओ0बी0सी0	गोरखपुर	एम0बी0बी0एस0	सिद्वार्थनगर
11.	1018	51520223839	डा0 अंशु शर्मा/पत्नी डा0 विकटेश कुमार शर्मा/503, बालमुकुन्द रोड, सुलतानपुर	सामान्य	सुलतानपुर	एम0बी0बी0एस0	अमेठी

http://shasanadesh.up.nic.in

12.	1093	51520052408	डा0 नेहा जौहरी/पुत्री श्री अशोक कुमार जौहरी/डी/20, किसान सहकारी सुगर मिल्स, लि0, सेमीखेड़ा, पो0आ0- देवरानिया, बरेली	सामान्य	बरेली	एम0बी0बी0एस0	पीलीभीत
13.	1159	51520393767	डा0 पल्लवी मनोचा/पत्नी श्री शान्ति सरूप भटनागर/186 इलोरा इनक्लैव, दयालबाग, आगरा- 282005	सामान्य	आगरा	एम0बी0बी0एस0 /एम0एस0 आब्स एण्ड गायनी	जिला महिला चिकित्सालय, फिरोजाबाद
14.	1162	51520342189	डा0 रीना सचान/पत्नी डा0 अभिषेक सिंह/44-सी, लोथर रोड, जार्ज टाउन, इलाहाबाद- 211002	सामान्य	इलाहाबाद	एम0बी0बी0एस0	फतेहपुर
15.	1210	51550314226	डा0 प्रशान्त यादव/पुत्र श्री लायक सिंह यादव/म0नं0-271, प्रतापपुर रोड, बाईपास चौराहा, शिकोहाबाद, जनपद- फिरोजाबाद-205135	ओ0बी0सी0	फिरोजाबाद	एम0बी0बी0एस0	हाथरस
16.	1271	51520268249	डा0 प्रीती भटनागर/पत्नी डा0 आनन्द विनय/कौशल्या मेमोरियल हास्पिटल, डा0 श्रीवास्तव लेन आनन्द नगर, भदोही	सामान्य	भदोही	एम0बी0बी0एस0 /एम0डी0 फिजियोलाजी	जिला चिकित्सालय, मिर्जापुर
17.	1331	51530031635	डा0 महेश कुमार नवदया/पुत्र श्री देव दयाल नवदया/मो0-रोनयापुरा, रानीपुर, झांसी	एस0सी0	झांसी	एम0बी0बी0एस0	जालौन
18.	1551	51550290032	डा0 प्रियंका कंसाना/पत्नी श्री मनोज कुमार डेढा/गली नं0 [illegible] पश्चिम, ग्रा0- टुकमीरपुर, पो0- गोकलपुरी, दिल्ली-94	ओ0बी0सी0	बुलन्दशहर	एम0बी0बी0एस0	बागपत
19.	1860	51530180499	डा0 सीमान्त सौरभ/ पुत्र श्री हरीश चन्द्र/ए-1/85 विनीत खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ- 22601	एस0सी0	लखनऊ	एम0बी0बी0एस0	रायबरेली
20.	1996	51550354914	डा0 रेखा यादव/पुत्री श्री कोमल प्रसाद/ग्रा0-निजामपुर, पो0- सेमा, जिला-आजमगढ़ 276001	ओ0बी0सी0	आजमगढ़	एम0बी0बी0एस0	लखनऊ

(विनोद कुमार सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत एलापैथिक चिकित्साधिकारी के पदों पर लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा वर्ष 2014 में चयनित चिकित्साधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र का प्रारूप:-

----

समक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक---------------------शपथ पत्र डा0------------------------- पुत्र श्री/डा0---------------------------------निवासी---------------------------जनपद--------------------मैं डा0-------------------------------- शपथकर्ता उपरोक्त निम्नलिखित बयान करता हूँ:-

1. यह कि शपथकर्ता की नियुक्ति शासन के कार्यालय ज्ञान संख्या------------------------------ दिनांक ----------------द्वारा उ0प्र0 प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के सामान्य उपसंवर्ग के पद पर नियुक्त करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक---के अधीन तैनात किया गया है।
2. यह कि शपथकर्ता के विरूद्व कोई आपराधिक मामला अथवा अन्य कोई ऐसा मामला लम्बित अथवा विचाराधीन नहीं है, जो उसे उक्त पद पर योगदान करने अथवा शासकीय सेवा करने के लिए आयोग्य ठहराता हो।
3. यह कि शपथकर्ता के चरित्र एवं प्राग्वृत्त संगठन का सदस्य नहीं है।
4. यह कि शपथकर्ता के चरित्र एवं प्राग्वृत्त सत्यापन में कोई अन्यथा तथ्य एवं प्रतिकूल तथ्य पाये जाने की दशा में मेरी नियुक्ति निरस्त कर विधि समस्त कार्यवाही की जाती है, तब प्रश्नगत नियुक्ति/तैनाती के सम्बन्ध में कोई अधिकार/दावा/क्षतिपूर्ति क्लेम नहीं करूँगा और उ0प्र0 शासन को अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये मेरी नियुक्ति निरस्त/समाप्त कर दें।

दिनांक----------

<u>सत्यापन</u>

मैं डा0-----------------शपथकर्ता ईश्वर की शपथ लेकर/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि उक्त शपथ-पत्र के प्रस्तर-1 से 4 के तथ्य मेरे निजी ज्ञान में सच व सही है, कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी मदद करे।

दिनांक--------------

(शपथकर्ता)

Suchi-N-A

चरित्र प्रमाण-पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि डा0------------------------पुत्र श्री----------------------------- निवासी-- को विगत---------------------वर्षो/माह में व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। मेरे संज्ञान में ऐसे कोई तथ्य नहीं हैं, जो इनके प्रतिकूल हो।

डा0--------------------------------मेरे निकट सम्बन्धी नहीं है, उनके उत्कृष्ट चरित्र एवं प्राग्वृत्त के अनुसार उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।

हस्ताक्षर-------------------------
निवासी--------------------------

Suchi-N-A